संख्याः इण्ड–II(बी) 2–3/2020
हिमाचल प्रदेश सरकार
उद्योग विभाग

प्रेशित

सचिव
हिमाचल प्रदेश विधानसभा,
शिमला– 171004

दिनांकः शिमला–02 5/3/2022

विशयः उद्योग विभाग द्वारा पूर्व में अधिसूचित दफ्तरी, वर्ग–IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम 2021 से सम्बन्धित अधिसूचना को विधानसभा पटल पर रखने बारे।

महोदय,

मैं विधानसभा के वर्तमान सत्र में उद्योग विभाग द्वारा पूर्व में अधिसूचित हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, दफ्तरी, वर्ग–IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम 2021 से सम्बन्धित अधिसूचना, जो कि राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित हो चुकी हैं, को विधानसभा के पटल पर रखना चाहता हूँः–

पद का नाम	मूल अधिसूचना संख्या तथा तिथि	अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि
उद्योग विभाग दफ्तरी, वर्ग–IV (अराजपत्रित)	इण्ड– II (बी) 2–3/2020 तिथि 6.12.2021	8.12.2021

तदानुसार उपरोक्त नियम की तीन–तीन अधिप्रमाणित प्रतियां (हिन्दी व अंग्रेजी), आपको आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैं।

संलग्नः यथोपरि

भवदीय

(बिक्रम सिंह)
उद्योग मन्त्री
हिमाचल प्रदेश ।

हिमाचल प्रदेश सरकार
उद्योग विभाग

संख्या इण्ड– II (बी)2–3/2020 तारीख, शिमला–171002 6 दिसम्बर,2021

<u>अधिसूचना</u>

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या उद्योग-II (ख)2-26/95 तारीख 13–11–2000 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, में दफ्तरी, वर्ग– IV ((अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1	(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, दफ्तरी, वर्ग– IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2021 है। (2) ये नियम राजपत्र, (ई गजट) प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे ।
उपाबन्ध"क" का संशोधन।	2	(1) हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग दफ्तरी, वर्ग–IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2000 के उपाबन्ध -"क" में; (क) स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:– "<u>नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए वेतनमान पे बैण्ड</u> रू 4900–10680/-रुपए जमा 1650/- रुपए ग्रेड पे"
		(ख) स्तम्भ संख्या 10 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:– "भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/ स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता:",
(ग) विद्यमान स्तम्भ संख्या 11 के स्थान पर निम्नलिखत रखा जाएगा, अर्थात्:–		
प्रोन्नति / सैकण्डमैंट द्वारा भर्ती "स्थानान्तरण की दशा में वे श्रेणियों (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट / स्थानानंतरण किया जाएगा :		चपड़ासी (चपरासियों)में से प्रोन्नति द्वारा जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो : (1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व संभरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात की गई थी : (i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो

		जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएगें और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जायेंगे : परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी : परन्तु यह और कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे । **स्पष्टीकरणः-** अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जो आपातकाल की अवधि के दौरान सशस्त्र बलों में शामिल हुए हैं और जिसे डिमोबिलाईज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज रूल्ज) 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तदधीन वरीयता लाभ दिए गए हों । **(ii)** इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व संभरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी : परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् स्थायीकरण के फलस्वरूप उसकी पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ”;
(घ) विद्यमान स्तम्भ संख्या 12 में उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखत रखा जाएगा, अर्थात्:-		
यदि विभागीय प्रोन्नति/ स्थायीकरण समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचनाः		(क) विभागीय प्रोन्नति समिति: जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए। (ख) विभागीय स्थायीकरण समिति लागू नहीं” ।
		(ङ) स्तम्भ संख्या 16 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:- सेवा में नियुक्ति / हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर अनुसूचित जातियों /अनुसूचित जनजातियों /अन्य पिछडे वर्गो और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गो के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ”।”

आदेश द्वारा,

आर० डी० धीमान्
अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि। तारीख शिमला–02 5 दिसम्बर, 2021

प्रतिलिपि:–

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हि0 प्र0 सरकार।
2. संयुक्त विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि–राजभाषा) विधि विभाग हिमाचल प्रदेश सचिवालय शिमला–171002
3. निदेशक उद्योग, हिमाचल प्रदेश शिमला–171001 ।
4. सचिव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा अयोग शिमला –171002 को उनके पत्र सख्या 1-2/98–पी एससी–पार्ट दिनांक–30-09—2021
5. समस्त जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश ।
6. समस्त महा प्रवन्धक, जिला उद्योग केन्द्र हिमाचल प्रदेश (**निदेशक के माध्यम से**)
7. नियंत्रक मुद्रण एंव लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला –171005 को राजपत्र (**ई गजट के माध्यम से**) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन हेतु ।
8. गार्ड फाईल ।

अवर सचिव (उद्योग),
हिमाचल प्रदेश सरकार

अधिक प्रमाणित

Industries, Transport,
Lab. & Employment Minister
Himachal Pradesh

(Authoritative English Text of this Department Notification No.Ind-II(B)2-3/2020, dated 6th December, 2021 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India).

Government of Himachal Pradesh
Department of Industries

No. Ind-II(B)2-3/2020 Dated: Shimla-2, the 6th December, 2021

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following rules, further to amend Department of Industries, Daftri (Class-IV), Recruitment and Promotion Rules, 2000 notified vide this department's Notification No. Udyog-II(kha)2-26/95 dated 13.11.2000, namely:-

<table>
<tr><td>Short title and Commencement.</td><td>1.</td><td>(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Industries Department, Daftri (Class-IV) (Non Gazetted) Recruitment and Promotion(First Amendment), Rules, 2021.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, (e-Gazette) Himachal Pradesh.</td></tr>
<tr><td>Amendment of Annexure-A</td><td>2.</td><td>In Annexure "A" to the Himachal Pradesh, Industries Department, Daftri (Class-IV), Recruitment and Promotion Rules, 2000:-
(a) For the existing provision against Column No. 4, the following shall be substituted, namely:-
"Pay band for regular incumbent (s):
Rs.4900-10680+1650/- Grade Pay",</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(b) For the existing Column No. 10, the following shall be substituted, namely:-
"Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/ secondment/ transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods "</td></tr>
<tr><td colspan="3">(c) For the existing Column No. 11, the following shall be substituted, provision in Column No. 11, the following shall be substituted, namely:-</td></tr>
<tr><td>"In case of recruitment by promotion/ secondment/ transfer. Grade(s)from which promotion/ secondment/ transfer is to be made:</td><td></td><td>"By promotion amongst the Peon(s) who possess 03 (three) years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade"</td></tr>
</table>

		(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules; (i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration; Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less; Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for Promotion on account of the requirements of the preceding provision, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion. **Explanation :-** The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex- servicemen who have joined Armed Forces during the period of emergency and recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non- Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex- Servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder. (ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules; Provided that inter-se- seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered shall remain unchanged.

(d) For the existing provision in Column No. 12, the following shall be substituted, namely:-		
If a Departmental Promotion confirmation Committee/ exists, what is its composition.		**Departmental Promotion Committee** As may be constituted by the Government from time to time. **Departmental Confirmation Committee** Not applicable".
		(e) For the existing provision against Column No. 16, the following shall be substituted, namely:- "The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Other Backward Classes/ other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time".

By Order

R.D. Dhiman
Additional Chief Secretary (Industries) to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst. No. Ind-II (B) 2-8/2016 dated: Shimla-171002 6th December, 2021

Copy forwarded to: -

1. All Administrative Secretaries, to the Govt. of HP Shimla-2
2. The ALR-cum-Addl. Secretary (Law) H.P Secretariat, Shimla-171002.
3. The Director of Industries, HP Udyog Bhawan, Shimla-17100119-378-Ind-I(Estt.)-I-2659 dated 28th October, 2021 (with 20 spare copies)..
4. The Secretary, HP Public Service Commission Shimla-171002 w.r.t. his letter No. 1-2/98-PSC-Part dated 30.9.2021
5. All Deputy Commissioners in Himachal Pradesh.
6. All the General Manager, District Industries Centres in HP (through Director of industries).
7. The Controller, Printing & Stationary, HP. Shimla-05 for publication in the Rajptra (E-Gazette) Himachal Pradesh.
8. Guard file.

Under Secretary (Industries) to the
Government of Himachal Pradesh.

Industries, Transport,
Lab. & Employment Minister
Himachal Pradesh